

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठारसीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

नं० - 65/2025
विवरण :-

1. विक्रमसिंह पुत्र गंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. राहुल पुत्र गंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

:-वादीगण

- वनाग
- 1 गंगतूराम पुत्र गुलजारी जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
 - 2 प्रियंका पुत्री गंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
 - 3 सुखदेई पत्नी गंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
 - 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
 - 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के रागक्ष वकील वादी श्री रोहताश चोपड़ा व वकील प्रतिवादीगण श्री गहेन्द्र जांगीड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गोजा चक 20 ए.ए.एस. पटवार हल्का चिड़ियागांधी, भू० अगि० निरि० क्षेत्र गांधीवड़ी के खाता संख्या 117/107 के मु० नं० 65 के किला नं. 11, 12 प्रत्येक की 0.2530 है० नहरी, कुल कित्ता 2 की 0.5060 है० नहरी, मु० नं० 66 के किला नं. 6 की 0.2020 है० नहरी किला नं. 7 ता 10, 14, प्रत्येक की 0.2530 है० नहरी, किला नं. 15 की 0.2020 है० नहरी, कुल कित्ता 7 की 1.6690 है० नहरी, मु० नं० 68 के किला नं. 14 की 0.2530 है० नहरी, किला नं. 15/1 की 0.2280 है० नहरी, किला नं. 15/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, किला नं. 17 की 0.2530 है० नहरी, कुल कित्ता 4 की 0.7340 है० नहरी व 0.0250 है० गै० मु० खाला, मु० नं० 79 के किला नं. 5/1 की 0.2020 है० नहरी, किला नं. 5/2 की 0.0510 है० गै० मु० खाला कुल कित्ता 2 की 0.2020 है० नहरी व गै० मु० खाला 0.0510 है० गै० मु० खाला, कुल कित्ता 15 की 3.1870 है०, जिसमे 3.1110 है० नहरी, 0.0760 है० गै० मु० खाला राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 मंगतूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादीगण विक्रम व राहुल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

नं० - 65/2025

- वादान :-
1. विक्रमसिंह पुत्र मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
 2. राहुल पुत्र मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

:-वादीगण


वनाम

- 1 मंगतूराम पुत्र गुलजारी जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
- 2 प्रियंका पुत्री मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
- 3 सुखदेई पत्नी मंगतूराम जाति मेघवाल साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
- 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रोहताश चोपड़ा व वकील प्रतिवादीगण श्री महेन्द्र जांगीड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 20 ए.एम. एस. पटवार हल्का चिड़ियागांधी, भू० अभि० निरि० क्षेत्र गांधीवड़ी के खाता संख्या 117/107 के मु० नं० 65 के किला नं. 11, 12 प्रत्येक की 0.2530 है० नहरी, कुल कित्ता 2 की 0.5060 है० नहरी, मु० नं० 66 के किला नं. 6 की 0.2020 है० नहरी किला नं. 7 ता 10, 14, प्रत्येक की 0.2530 है० नहरी, किला नं. 15 की 0.2020 है० नहरी, कुल कित्ता 7 की 1.6690 है० नहरी, मु० नं० 68 के किला नं. 14 की 0.2530 है० नहरी, किला नं. 15/1 की 0.2280 है० नहरी, किला नं. 15/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, किला नं. 17 की 0.2530 है० नहरी, कुल कित्ता 4 की 0.7340 है० नहरी व 0.0250 है० गै. मु. खाला, मु० नं० 79 के किला नं. 5/1 की 0.2020 है० नहरी, किला नं. 5/2 की 0.0510 है० गै० मु० खाला कुल कित्ता 2 की 0.2020 है० नहरी व गै० मु० खाला 0.0510 है० गै० मु० खाला, कुल कित्ता 15 की 3.1870 है०, जिसमे 3.1110 है० नहरी, 0.0760 है० गै० मु० खाला राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 मंगतूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादीगण विक्रम व राहुल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(कल्पित शिवरान R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़